

अधिसूचित एसईजेड के संबंध में सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए 9 मई, 2007 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 11वीं बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 09 मई, 2007 को पूर्वाह्न 10.00 बजे सम्मेलन कक्ष नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट I)।

2. अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और सूचित किया कि 5 अप्रैल 2007 को अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के निर्णय के बाद अधिसूचित एसईजेड की संख्या 63 से बढ़कर 101 हो गई है। उन्होंने अनुमोदन बोर्ड को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निर्यात, रोजगार एवं निवेश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने सूचित किया कि 101 अधिसूचित एसईजेड में 35000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है तथा इन एसईजेड द्वारा 32000 से अधिक व्यक्तियों को सीधा रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि वर्ष 2006-07 के लिए एसईजेड से निर्यात का मूल्य 34789 करोड़ रुपए था जो पिछले वर्ष के निर्यात की तुलना में 52 प्रतिशत अधिक है।

3. इसके बाद चर्चा के लिए एजेंडा की मंदां ली गई जो इस प्रकार हैं :

सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. ग्राम रजोदा, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 230 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए एनजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करते समय राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि सेक्टर को औद्योगिक मशीनरी एवं एनसिलरी से बदलकर इंजीनियरिंग किया जा सकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम रजोदा, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 230 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एनजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. वडोदरा, गुजरात में 115.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद एवं संबद्ध सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राजस्व विभाग का प्रतिनिधि करने वाले सदस्य ने विकासकों के निवल मूल्य के संबंध में सरोकार व्यक्त किया। औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करते समय राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि विकासक एफडीआई के लिए तीन कंपनियों के साथ अनुबंध कर चुका है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने वडोदरा, गुजरात में 115.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद एवं संबद्ध सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम तुंबे, बंटवाल तालुक, कर्नाटक में 12.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए बीए टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। प्रस्ताव की सिफारिश करते समय राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि यह परियोजना मंगलौर के टियर 2 सिटी में आएगी और यह कि विकासक के कब्जे में भूमि है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम तुंबे, बंटवाल तालुक, कर्नाटक में 12.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बीए टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. मंगलौर पोर्ट के पास, कर्नाटक में 175 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद एवं संबद्ध सेवा के लिए पोर्ट आधारित एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। प्रस्ताव की सिफारिश करते समय राज्य सरकार ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि विकासक ने 486 हेक्टेयर के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है जबकि केवल 175 हेक्टेयर भूमि पर उनका कब्जा है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मंगलौर पोर्ट के पास, कर्नाटक में 175 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद एवं संबद्ध सेवा के लिए पोर्ट आधारित एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. भुवनेश्वर, उड़ीसा में 22 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए डीएलएफ का अनुरोध (क्रम संख्या 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने भुवनेश्वर, उड़ीसा में 22 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डीएलएफ

द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. जिला झरुंगुडा, उड़ीसा में 242.81 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एल्युमीनियम के निर्माण एवं निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए वेदांता एल्युमीना लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जिला झरुंगुडा, उड़ीसा में 242.81 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वेदांता एल्युमीना लिमिटेड द्वारा एल्युमीनियम के निर्माण एवं निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने निर्देश दिया कि कैप्टिव पावर प्लांट की क्षमता के संबंध में विकासक अधिकृत गतिविधियों के लिए आवेदन करने के समय अनुमोदन के लिए औचित्य के साथ इसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

7. ग्राम सीकिनकुप्पम, चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 126.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटो एनसीलरी सहित इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 10) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सीकिनकुप्पम, चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 126.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आटो एनसीलरी सहित इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. ग्राम सीकिनकुप्पम, चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 121.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 11) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सीकिनकुप्पम, चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 121.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. ग्राम मन्नूर, श्रीपेरंबदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक

अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए जे मातादी इको पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 12) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम मन्नूर, श्रीपेरंबदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जे मातादी इको पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में 61 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए वेलंकनी इनफार्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 13) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में 61 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वेलंकनी इनफार्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. एन्नोर, तिरुवल्लूर, तमिलनाडु में 1214 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टिडको) का अनुरोध (क्रम संख्या 14) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि प्रस्तावित एसईजेड पोर्ट एरिया के बाहरी क्षेत्र में है और मौजूदा पोर्ट प्रस्तावित एसईजेड का अंग नहीं होगा। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने एन्नोर, तिरुवल्लूर, तमिलनाडु में 1214 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टिडको) द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

12. ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 30.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए यूनीटेक इनफ्राकॉन लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 16) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 30.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में यूनीटेक इनफ्राकॉन लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

13. चांदपुर चंपागची, राजरहाट के पास, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए

सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए एनफील्ड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 17) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चांदपुर चंपागची, राजरहाट के पास, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एनफील्ड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

14. कंकशा, पानगढ़, जिला वर्धवान, पश्चिम बंगाल में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए एनफील्ड रियल्टर्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 18) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कंकशा, पानगढ़, जिला वर्धवान, पश्चिम बंगाल में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एनफील्ड रियल्टर्स लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. तालुक वागरा, जिला भडूच, गुजरात में 122 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में केमिकल (कृषि आधारित) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए जयंत ऑयल एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 20) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करते समय राज्य सरकार ने सूचित किया कि 122 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है जिसके लिए अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यथा प्रस्तावित कृषि आधारित केमिकल की तुलना में केमिकल अधिक उपयुक्त सेक्टर होगा। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने तालुक वागरा, जिला भडूच, गुजरात में 122 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जयंत ऑयल एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड द्वारा केमिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

16. प्लॉट नंबर 1, ब्लाक नंबर डीएच, स्ट्रीट नंबर 316, न्यू टाउन, राजरहाट, जिला उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 19.58 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तन के लिए यूनीटेक हाइटेक स्ट्रक्चर्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 22) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लॉट नंबर 1, ब्लाक नंबर डीएच, स्ट्रीट नंबर 316, न्यू

टाउन, राजरहाट, जिला उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 19.58 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में यूनीटेक हाइटेक स्ट्रक्चर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

17. ननगूनेरी तालुक, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में 1020 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टिडको) का अनुरोध (क्रम संख्या 23) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ननगूनेरी तालुक, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में 1020 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टिडको) द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ख) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. उडुपी, कर्नाटक में 202.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद एवं संबद्ध सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 4) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि पूर्ण भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम भोकरपाड़ा, पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 103.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए सन्नी विस्टा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 6) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि विकासक से कुछ और सूचना की प्रतीक्षा है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

3. द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 1250 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध

विकासक ने प्रस्तावित परियोजना पर अनुमोदन बोर्ड को विस्तृत प्रस्तुति दी तथा बताया कि फ्लाइंग ओवर, अंडरपास आदि का निर्माण करके उनके द्वारा किस तरह सन्निकटता के मुद्दे का समाधान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सूचित किया कि औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने सन्निकटता के मुद्दे को लेकर

आपतियां व्यक्त की और सूचित किया कि परियोजना प्रस्ताव में सन्निकटता के अभाव तथा उसे दूर करने के लिए उनके प्रस्ताव के संबंध में तथ्यों को ठीक से दर्शाया नहीं गया है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि यद्यपि सन्निकटता स्थापित करने के लिए विकासक द्वारा दी गई प्रस्तुति तर्कसंगत लग सकती है परंतु भौतिक रूप से उसकी जांच नहीं हो पाई है क्योंकि इस संबंध में उनसे कोई लिखित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सुझाव दिया गया कि सन्निकटता स्थापित करने के संबंध में अपने प्रस्ताव के ब्यौरों के साथ विकासक को स्पष्ट मैप प्रस्तुत करना चाहिए। विकासक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की उनके द्वारा जांच किए जाने तक उन्होंने मामले को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा विकासक को सलाह दी कि वे निर्यात संवर्धन महानिदेशक, सीबीईसी, राजस्व विभाग को आवश्यक मैप तथा दस्तावेज प्रस्तुत करें ताकि वे प्रस्ताव की अग्रेतर जांच कर सकें।

4. ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 80 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए ग्रेटर नोएडा इंडीग्रेटे वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 15) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हालांकि भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है, अंतिम विकास अधिकार करार पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और भूमि अभी सौंपी नहीं गई है और इसलिए आस्थगित करने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधि ने यह भी सूचित किया कि इस परियोजना के लिए क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर न कि 80 हेक्टेयर है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

5. उत्तर गाजीपुर, डाक घर भंगोर, ग्राम पदम पुकुर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए एनफील्ड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 19) :

रिकार्डों से यह नोट किया गया कि यद्यपि विकासक ने भूमि के लिए बिक्री विलेख प्रस्तुत किया है परंतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से भूमि पर औपचारिक कब्जा स्पष्ट नहीं है। अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

6. गुड़गांव, हरियाणा में 44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए रोजव्यू इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 21) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि भूमि पर कब्जा के दस्तावेज बहुत स्पष्ट नहीं हैं और आस्थगित करने का अनुरोध किया। अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

पूरक एजेंडा :

मद संख्या 1 : मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) (पूर्व में इसका नाम गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड था) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक तथा अधिकृत प्रचालनों के लिए एडीकॉप का अनुरोध

विकासक ने अपने विभिन्न अनुरोधों पर प्रस्तुति दी। तथापि, मौजूदा मुंद्रा पोर्ट पर कार्गो क्लियरेंस से भिन्न कस्टम कार्यों के प्रशासन के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा व्यक्त किए गए सरोकारों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिया :

- एक साल की अवधि के लिए अर्थात 31 मई 2008 तक पोर्ट फंक्शन के संबंध में वर्तमान प्रशासनिक संरचना बनी रहेगी। वाणिज्य विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को शामिल करके गठित समिति पोर्ट प्रचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेगी और 31 अक्टूबर 2007 तक पोर्ट आधारित एसईजेड के लिए उपयुक्त प्रशासनिक संरचना का सुझाव देगी।
- मौजूदा पोर्ट के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए अपेक्षित सामग्री पर कोई इयूटी रियायत अनुमत नहीं होगी। तथापि, पोर्ट का कोई विस्तार, अतिरिक्त अवसंरचना जैसे कि कंटेनर टर्मिनल आदि एसईजेड अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार लाभ के लिए पात्र बने रहेंगे।
- पोर्ट प्रचालन की प्रशासनिक संरचना के संबंध में निर्णय न होने तक विकास आयुक्त / अनुमोदन समिति गुजरात अडानी पोर्ट में तत्कालीन कस्टम एरिया में खाली भूमि में एसईजेड यूनिट की स्थापना के लिए कोई मंजूरी पत्र (एलओए) जारी नहीं करेगी।

तथापि, निर्यात संवर्धन महानिदेशक, सदस्य, सीमा शुल्क, सीबीईसी, राजस्व विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वे इस प्रस्ताव पर स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और इस संबंध में अग्रेतर निर्देशों के लिए सदस्य (सीमा शुल्क) से परामर्श करने की आवश्यकता होगी। अध्यक्ष ने समुक्ति की कि उन्होंने राजस्व विभाग में संबंधित अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। तथापि, डीजीईपी द्वारा की गई समुक्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि यह निर्णय सदस्य (सीमा शुल्क) की राय के अधीन होगा।

इसके अलावा, अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कुछ अन्य अनुरोध पोर्ट एरिया से बाहर हैं और मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स एडीकॉप तथा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 1 में उल्लिखित सह विकासक अर्थात एडीकॉप द्वारा संचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित अधिकृत प्रचालनों की सूची को मंजूरी प्रदान की :

1. क्लीनिक और/या मेडिकल सेंटर
2. मल्टीप्लेक्स
3. क्लब हाउस

जहां तक इसमें सूचीबद्ध मद संख्या 9, 13- 17, 19 और 22 का संबंध है, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित मात्रा पर विचार करने के बाद मात्रा की दृष्टि से निम्नलिखित के लिए मंजूरी प्रदान की :

1. हाउसिंग - 20000 वर्गमीटर के अधिकतम निर्मित क्षेत्र के साथ 2000 यूनिटें
2. 100 बिस्तर वाला अस्पताल
3. 6000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ 10+2 स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज।
4. 3000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ क्लब हाउस, इंडोर और/या आउटडोर गेम्स तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
5. शॉपिंग आर्केड - 10000 वर्गमीटर
6. कार्यालय स्थान - 10,000 वर्गमीटर
7. होटल - 3000 वर्गमीटर के साथ 250 कमरे

मद संख्या 2 : मुंद्रा एसईजेड, कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए सह विकासक मुंद्रा एसईजेड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक अर्थात मुंद्रा एसईजेड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क द्वारा संचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित अधिकृत प्रचालनों की सूची को मंजूरी प्रदान की गई जो अनुबंध 2 में दी गई है। जहां तक इसमें सूचीबद्ध मद संख्या 10 और 11 का संबंध है, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित मात्रा पर विचार करने के बाद मात्रा की दृष्टि से निम्नलिखित के लिए मंजूरी प्रदान की :

1. कार्यालय स्थान - 5000 वर्गमीटर
2. मनोरंजन की सुविधाएं - 3000 वर्गमीटर

मद संख्या 3 : सामाजिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए मुंद्रा एसईजेड के सह विकासक के लिए एडीकॉर्प मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एडीकॉर्प) का प्रस्ताव

उपर्युक्त मद संख्या 1 के अनुसार इस अनुरोध पर विचार किया गया।

मद संख्या 4 : बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए महिंद्रा पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 5 : कोई आम रास्ता न होने की आवश्यकता से छूट प्रदान करने के लिए गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड (जीएपीएल) (अब मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड) का अनुरोध

मद संख्या 6 : मुंद्रा, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में एफटीडब्ल्यूजेड के रूप में क्षेत्रफल के सीमांकन के लिए मैसर्स जीएपीएल (अब मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड) का अनुरोध

विकासक ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अपने विभिन्न अनुरोधों पर अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति दी। राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रस्तावों में सन्निकटता से संबंधित अनेक मुद्दे हैं जिन पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। प्रतिनिधियों ने अगली बैठक तक प्रस्तावों को आस्थगित करने का अनुरोध किया, और तब तक विकासक अग्रतर जांच के लिए विस्तृत मैप प्रदान करेगा। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त मद संख्या 3, 5 और 6 के प्रस्तावों पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 7 : एसईजेड का क्षेत्रफल 10.10 हेक्टेयर से बढ़ाकर 21.80 हेक्टेयर करने के लिए रॉयल पाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने सूचित किया कि विकासक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कुछ दस्तावेजों के अभाव में निरीक्षण पूरा नहीं हो सका है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 8 : महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, चेन्नई के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए असंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित को छोड़कर प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित किए जाने के लिए अनुबंध 3 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

1. मल्टीप्लेक्स
2. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
3. एटीएम, क्लीनिक / मेडिकल सेंटर
4. स्कूल और/या तकनीकी संस्था और/या शैक्षिक संस्था
5. मेडिकल सेंटर और/या हॉस्पिटल

मद संख्या 9 : फटे पुराने / प्रयुक्त कपड़ों की प्रोसेसिंग करने वाली यूनिटों के अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कांडला एसईजेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने फटे पुराने / प्रयुक्त कपड़ों की प्रोसेसिंग करने वाली यूनिटों के अनुमोदन पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कांडला एसईजेड के प्रस्ताव पर विचार किया तथा 31 दिसंबर 2007 तक अवधि बढ़ाए जाने के लिए मंजूरी प्रदान की। यह भी निर्णय लिया गया कि इस विषय पर संसदीय याचिका समिति के विचाराधीन याचिका में निर्णय के अधीन अग्रतर विस्तार पर विचार किया जाएगा।

मद संख्या 10 : मेटल रिसाइकलिंग यूनिट के लिए एलओए की अवधि बढ़ाने के लिए कांडला एसईजेड का अनुरोध

9 मई, 2007 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त

अनुमोदन बोर्ड ने मेटल रिसाइकलिंग यूनिट के लिए एलओए की अवधि बढ़ाने के लिए कांडला एसईजेड के अनुरोध पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि चूंकि एलओए की अवधि अक्टूबर 2005 में समाप्त हो चुकी है इसलिए अग्रेतर विस्तार प्रदान नहीं किया जा सकता है।

मद संख्या 11 : विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए मैसर्स एपीआईआईसी का अनुरोध

26 अप्रैल 2007 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों के अलावा अनुमोदन बोर्ड ने विकासक द्वारा अपने पत्र दिनांक मई 2007 में प्रस्तावित मात्रा पर विचार करने के बाद मात्रा की दृष्टि से निम्नलिखित के लिए मंजूरी प्रदान की :

1. कार्यालय स्थान और/या शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस और/या मल्टीप्लेक्स - 10,000 वर्गमीटर
2. आवास :
 - (क) 500 इवेलिंग हाउस - 2000 वर्गफीट
 - (ख) 1000 इवेलिंग हाउस - 1200 वर्गफीट
 - (ग) 2000 इवेलिंग हाउस - 2000 वर्गफीट

कुल क्षेत्रफल 380000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा

3. श्री स्टार होटल - 2 - 200 कुंजियां
4. हॉस्पिटल - अधिकतम 250 बिस्तर
5. स्कूल और/या तकनीकी संस्था और/या शैक्षिक संस्था और/या क्रेच
 - (क) एलकेजी से 12वीं कक्षा तक एकीकृत स्कूल - 1000 छात्र
 - (ख) क्रेच - आवश्यकता के आधार पर - अधिकतम 500 वर्गमीटर

मद संख्या 12 : तिरुवन्नामलै, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स चेरार एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

26 अप्रैल 2007 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों के अलावा अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित मात्रा पर विचार करने के बाद मात्रा की दृष्टि से निम्नलिखित के लिए मंजूरी प्रदान की :

1. आवास 7,50,000 वर्गमीटर के अधिकतम निर्मित क्षेत्र में अधिकतम 7500 मकान
2. कार्यालय स्थान - अधिकतम 10,000 वर्गमीटर
3. होटल - अधिकतम 100 कमरे
4. स्कूल / शैक्षिक संस्था - अधिकतम 10000 वर्गमीटर
5. क्लीनिक / हॉस्पिटल : अधिकतम 25 बेड

मद संख्या 13 : एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास के निर्दिष्ट बिंदुओं और फेंसिंग के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग में सीबीईसी से डीजीईपी ने सूचित किया कि एसईजेड और डीटीए क्षेत्र को जोड़ने वाले मौजूदा कनवेयर से संबंधित मुद्दों की और जांच करने की आवश्यकता है। उन्होंने एक सीडी सौंपा जिसमें कुछ वीडियो थे जिसके माध्यम से वाणिज्य विभाग के अधिकारियों को मौजूदा कनवेयर दिखाए गए और अनुरोध किया कि अग्रतर जांच / सत्यापन होने तक एजेंडा पर विचार करना आस्थगित किया जा सकता है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने अपनी अगली बैठक के लिए निर्णय आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 14 : गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में हाउसिंग और शॉपिंग के लिए निर्मित क्षेत्र की सीमा की समीक्षा करने के लिए मैसर्स क्वार्क सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स क्वार्क सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत किया। राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि कुल उपलब्ध निर्मित क्षेत्र निर्मित क्षेत्र से कम है जिसके लिए अनुरोध किया गया है। क्वार्क सिटी के सीईओ ने बताया कि हालांकि एसईजेड में उनका क्षेत्रफल केवल 13.75 हेक्टेयर है, उनकी कुल भूमि 51 एकड़ है तथा पंजाब सरकार ने उनको 3 का एफएआर अनुमत किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एसईजेड क्षेत्र में उपलब्ध अधिकांश निर्मित क्षेत्र लेने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 शिफ्ट के आधार पर 55000 व्यक्तियों को काम पर लगाने का अनुमान लगाया है और यह कि परिवार में 5 व्यक्तियों के औसत आकार तथा राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार प्रति व्यक्ति 20 वर्गमीटर की आवश्यकता के आधार पर आवास के लिए 160000 वर्गमीटर की आवश्यकता वास्तविक आवश्यकता से बहुत कम है और यह कि वे यह मानते हैं कि उत्पादकता तथा कर्मचारियों की निष्ठा में सुधार के लिए कार्य, निवास और खेल का परिवेश महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रक्षेपित रोजगार के अनुपात में शॉपिंग, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, मेडिकल सर्विस तथा अन्य सेवाओं के लिए भी अनुरोध किया। यह देखते हुए कि यह 100 प्रतिशत एफडीआई परियोजना है और यह कि विकासक सही मायने में विश्व स्तरीय अवसंरचना का सृजन कर रहा है, अनुमोदन बोर्ड गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में हाउसिंग, शॉपिंग तथा अन्य सुविधाओं के लिए निर्मित क्षेत्र की सीमा की समीक्षा करने के लिए मैसर्स क्वार्क सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध से सहमत हुआ और निम्नलिखित के लिए मंजूरी प्रदान की :

- (i) 100000 वर्गमीटर के हाउसिंग / सर्विस अपार्टमेंट का निर्माण करने के लिए अनुमति विकासक 60000 वर्गमीटर के अतिरिक्त हाउसिंग / सर्विस अपार्टमेंट के निर्माण के लिए अनुमोदन हेतु अनुमोदन बोर्ड के पास वापस आ सकता है यदि एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा अधिभोग के कारण हाउसिंग का यह स्टॉक समाप्त हो जाएगा।
- (ii) 50000 वर्गमीटर का शॉपिंग एरिया
- (iii) फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, मेडिकल सर्विस तथा अन्य सेवाओं के लिए 20000 वर्गमीटर

अनुमोदन बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी मामले में मकानों के निर्माण के लिए सामग्री की अनुमति प्रदान करते समय अनुमोदन समितियों / विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले चरण में 20 प्रतिशत से अधिक अनुमोदित आवास का निर्माण न हो। जब वे संतुष्ट हो जाएं कि प्रसंस्करण क्षेत्र तथा आवास पर पात्र व्यक्तियों का अधिवास हो गया है तो हर बार अनुमोदित स्टाक के 20 प्रतिशत की दर से चरणों में शेष आवास के निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए।

मद संख्या 15 : मैसर्स वेंलकनी टेक्नोलाजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम में सैद्धांतिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स वेंलकनी इंफार्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स वेंलकनी टेक्नोलाजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम में सैद्धांतिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स वेंलकनी इंफार्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा नोट किया कि औपचारिक अनुमोदन के लिए अनुरोध प्राप्त है और नए नाम में सूचीबद्ध है।

मद संख्या 16 : ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (जीएनआईडब्ल्यूपीएल) के नाम में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन के लिए एफटीडब्ल्यूजेड द्वारा अनुरोध

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (जीएनआईडब्ल्यूपीएल) के नाम में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन के लिए एफटीडब्ल्यूजेड के अनुरोध पर विचार किया गया तथा नोट किया गया कि जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया है, आवेदक को भूमि अभी तक सौंपी नहीं गई है और इसलिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सकता है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स एफटीडब्ल्यूजेड प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया सैद्धांतिक अनुमोदन उनकी एसपीवी मैसर्स ग्रेटर नोएडा इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (जीएनआईडब्ल्यूपीएल) को अंतरित करने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 17 : 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम टीकरी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए पिछले सैद्धांतिक अनुमोदन की पुष्टि के लिए मैसर्स यूनीटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम टीकरी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए पिछले सैद्धांतिक अनुमोदन की पुष्टि के लिए मैसर्स यूनीटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई।

मद संख्या 18 : पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स काकीनाड़ा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध पर विचार किया तथा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 4 में सूचीबद्ध अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की :

1. कार्यालय स्थान
2. स्वीमिंग पूल
3. शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
4. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
5. आवासन या सर्विस अपार्टमेंट
6. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
7. पोर्ट
8. एयरपोर्ट और/या एयर कार्गो कम्प्लेक्स
9. विशेष आर्थिक क्षेत्र होटल के अंदर रेल हेड

मद संख्या 19 : शोलिंगनल्लूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में मैसर्स एलकॉट द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध पर विचार किया तथा निम्नलिखित को छोड़कर प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुबंध 5 में सूचीबद्ध अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की :

1. कार्यालय स्थान
2. स्वीमिंग पूल
3. क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
4. शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
5. व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र
6. आवासन और/या सर्विस अपार्टमेंट
7. क्लीनिक और मेडिकल सेंटर

मद संख्या 20 : सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के दो प्रस्तावों पर विचार किया जा चुका है तथा ऊपर अलग से निर्णय दर्ज किए गए हैं।

मद संख्या 21 : शेड्डे औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में मैसर्स वोकहार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालन

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध पर विचार किया तथा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 6 में सूचीबद्ध अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की :

1. सम्मेलन केन्द्र

मुंद्रा एसईजेड (एडीकॉर्प)

1. स्ट्रीट लाइट के साथ सड़कें
2. वर्षा जल संचयन
3. सीवेज निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइन तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें, सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा वाटर चैनल
5. फायर स्टेशन, स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
6. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
7. उपयुक्त क्षमता का जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइन, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा वाटर चैनल
8. विद्युत और गैस वितरण प्रणाली
9. आवास - 2000 यूनिटें जिनका निर्मित क्षेत्र 200000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा
10. क्रेच - वास्तविक आवश्यकता के अनुसार
11. कैंटीन
12. कैफेटेरिया
13. 100 बिस्तर वाला अस्पताल
14. स्कूल और/या तकनीकी और/या शैक्षिक संस्था - 10+2 स्कूल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज जिनका निर्मित क्षेत्र 6000 वर्गमीटर होना चाहिए।
15. 3000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ क्लब हाउस, इंडोर और/या आउटडोर गेम्स तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
16. शॉपिंग आर्केड - 10,000 वर्गमीटर
17. स्वीमिंग पूल
18. कार्यालय स्थान - 10,000 वर्गमीटर
19. सुरक्षा कार्यालय
20. मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
21. होटल - 3000 वर्गमीटर में 250 कमरे
22. लैंडस्केपिंग

मुंद्रा एसईजेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क प्राइवेट लिमिटेड (मितैप)

गतिविधियों / अधिकृत प्रचालन की सूची

1. सड़कें
2. सीवेज निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइन तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और सीवेज शोधन संयंत्र
3. उपयुक्त क्षमता के जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें, सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा वाटर चैनल
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. उत्पादन को छोड़कर विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
6. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
7. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइन और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
8. क्रेच
9. कैंटीन
10. कार्यालय स्थान – 5000 वर्गमीटर
11. मनोरंजन की सुविधाएं – 3000 वर्गमीटर
12. मेडिकल सेंटर तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
13. इनलैंड कंटेनर डिपो
14. सुरक्षा कार्यालय

**असेंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, चेन्नई का आईटी / आईटीईएस
एसईजेड**

महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, चेन्नई के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में मैसर्स असेंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए सह विकासक का अनुरोध विचारार्थ और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

1. कार्यालय स्थान और/या शॉपिंग आर्केड और/या रिटेल स्पेस
2. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
3. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
5. विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
6. फायर स्टेशन, स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
7. क्लब हाउस, इंडोर और/या आउटडोर गेम्स, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
8. कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि क्रेच तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
9. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
10. बस बे
11. फूड सर्विस - कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
12. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
13. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
14. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, सीवेज और कचरा निस्तारण के लिए पाइप लाइन तथा अन्य आवश्यक अवसंरचना, सीवेज शोधन संयंत्र
15. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
16. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
17. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
18. वर्षा जल संचयन संयंत्र
19. फायर स्टेशन, स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
20. क्लिनिक

उपर्युक्त सभी गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमत होंगी।

काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
8. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
9. वर्षा जल संचयन संयंत्र
10. उत्पादन को छोड़कर विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
11. एयर कंडिशनिंग
12. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
13. क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
14. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
15. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
16. खेल का मैदान
17. बस बे
18. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
19. लैंड स्केपिंग और वाटर बाडीज
20. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
21. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां
22. अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
23. बैंक
24. प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली
25. फायर स्टेशन

एलकाँट

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
6. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
7. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
8. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
9. वर्षा जल संचयन संयंत्र
10. विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
11. एयर कंडिशनिंग
12. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
13. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
14. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
- 15.
16. खेल का मैदान
17. बस बे
18. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
19. भूमि भराव तथा भूमि विकास सहित लैंड स्केपिंग और वाटर बाडीज
20. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
21. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

मद संख्या 21 और 27 को छोड़कर उपर्युक्त सभी गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमत होंगी।

वोकहार्ट इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन

1. कैंटीन
2. मेडिकल सेंटर
3. मनोरंजन की सुविधाएं
4. विद्युत उत्पादन को छोड़कर पावर बैकअप की सुविधाओं सहित विद्युत
5. सीवेज और कूड़ा निस्तारण संयंत्र
6. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर स्टेशन, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
7. सुरक्षा कार्यालय
8. सिगनल
9. पार्किंग की सुविधा
10. लैंडस्केपिंग
11. इंटरनेट नेटवर्किंग

9 मई, 2007 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त

परिशिष्ट 1

प्रतिभागियों की सूची

9 मई, 2007 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 11वीं बैठक